# अंचल अधिकारी का कार्यालय, सरायकेला।

## आदेश

उपायुक्त सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक–52/रा0, दिनांक–05.01.2019 द्वारा प्रस्तावित नए अनुमण्डल कार्यालय भवन, सरायकेला हेतु चिन्हित किया गया भूमि निम्न प्रकार है।

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| नगरपालिका सरायकेला वार्ड नं0–05 | 301 | 149 | 315/a | 0.26 |
| | | | 315/b | 0.23 |
| | | | 315/c | 0.03 |
| | | | 315/d | 0.03 |
| | | | 314/a | 0.20 |
| | | | 314/b | 0.01 |
| | | | 314/c | 0.13 |
| | | | 314/d | 0.03 |
| | | | 314/e | 0.27 |
| | | | 314/f | 0.10 |
| | | 148 | 313/अंश | 0.50 |
| | | 144 | 312 | 0.02 |
| | | | कुल | 1.81 ए0 |

कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल सरायकेला के पत्रांक–159, दिनांक–24.05.2019 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में उपरोक्त भूमि का सीमांकन हेतु श्री आशीष कुमार आचार्या अंचल अमीन, अंचल कार्यालय सरायकेला दिनांक–29.05.2019 को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

श्री आचार्या अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि दिनांक–29.05.2019 को कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल सरायकेला के कार्यालय में योगदान देकर संबंधित भूमि का सीमांकन करना सूनिश्चित करें।

अंचल अधिकारी
सरायकेला।

Scanned with CamScanner

# नगर पंचायत का कार्यालय सरायकेला

Email: -npseraikella1@gmail.com

पत्रांक 1266 / न0प0

दिनांक 10/9/2020

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत सरायकेला।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल,सरायकेला।

**विषयः— नगर पंचायत, सरायकेला क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं0—10, पुराना उपायुक्त,सरायकेला —खरसावाँ कार्यालय भवन को तोड़कर नया अनुमण्डल कार्यालय भवन का निर्माण बिना नक्शा पारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत,सरायकेला क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं0—10 में नगर पंचायत,सरायकेला कार्यालय से बिना नक्शा पास कराए एवं अनुमति के पुराना उपायुक्त,सरायकेला—खरसावाँ कार्यालय को तोडकर नया अनुमण्डल कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है जो कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एव झारखण्ड भवन उपविधि 2016 के तहत अवैध है। ज्ञातव्य हो कि नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का भवन / सरकारी भवन निर्माण कार्य करने हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखण्ड भवन उपविधि 2016 (Jharkhand Building Bye-Laws 2016) **(पारा 9.6 छायाप्रति संलग्न)** के तहत स्थानीय नगर निकाय से अनुमति एवं नक्शा पास कराना अनिवार्य है। परंतु भवदीय के द्वारा अभी तक उक्त भवन निर्माण से संबंधित नक्शा नगर पचायत कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही इसकी किसी भी प्रकार की सूचना नगर पंचायत कार्यालय,सरायकेला को प्राप्त है। पुराने भवन को ध्वस्त (Demolish) करने हेतु भी स्थानीय नगर निकाय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। नगर पंचायत,सरायकेला में पंजीकृत Licence Technical Person (LTP) (सूची संलग्न) के द्वारा Online नक्शा पारित किया जाता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि नगर पंचायत,सरायकेला क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं0—10 में पुराना उपायुक्त,सरायकेला—खरसावाँ का कार्यालय को तोडकर नया अनुमण्डल कार्यालय भवन निर्माण से संबंधित नक्शा नगर पचायत,सरायकेला कार्यालय में प्रस्तुत करने के साथ साथ नगर पंचायत,सरायकेला मे पंजीकृत Licence Technical Person (LTP) के द्वारा Online नक्शा पारित कराने हेतु आवेदन देते हुए कार्रवाई की जाय एवं नगर पचायत,सरायकेला से नक्शा पास होने के उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य आरंभ करने की कृपा करें।

सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

10/09/20

**कार्यपालक पदाधिकारी**
नगर पंचायत,सरायकेला

10/09/2020

10/09/20

Scanned with CamScanner